

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10

जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अनुपमा शर्मा	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 अल्मोडा	सामु0स्वा0के0 सुयालबाडी, नैनीताल	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15879 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमौऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, अल्मोडा।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

—:आदेश:—

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती पंकिता सकलानी	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि० विकासनगर, देहरादून	जिला चिकि० उत्तरकाशी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/15881

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० विकासनगर, देहरादून/ जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/xxxvi(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/xxx (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/xxx (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रेहाना सुल्तान	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि० देहरादून	जिला चिकि० पौड़ी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15883 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० देहरादून/ जिला चिकित्सालय, पौड़ी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।


(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

18 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/xxxvi(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/xxx (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/xxx (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती पूनम ठाकुर	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 देहरादून	जिला चिकि0 पौड़ी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15285 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून/ जिला चिकित्सालय, पौड़ी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती शकुन्तला	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि० देहरादून	जिला चिकि० गोपेश्वर, चमोली	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15887 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/चमोली।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० देहरादून/ जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर, चमोली।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/चमोली।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती भावना भट्ट	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि० देहरादून	सामु०स्वा०के० चकराता, देहरादून	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15889 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० देहरादून।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अंकुर चौहान	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि० हरिद्वार	जिला चिकि० रुद्रप्रयाग	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15891

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/रुद्रप्रयाग।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० हरिद्वार/जिला चिकि० रुद्रप्रयाग।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/रुद्रप्रयाग।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती उषा रावत	नर्सिंग अधिकारी	ए0एन0एम0टी0सी0 रानीपोखरी, देहरादून	जिला चिकि0 पौड़ी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15893 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 पौड़ी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रोजी क्षेत्री	नर्सिंग अधिकारी	ए0एन0एम0टी0सी0 रानीपोखरी, देहरादून	सामु0स्वा0के0 छाम, टिहरी गढ़वाल	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15895 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/टिहरी।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी।
- 4- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 5- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अनीता पुण्डिर	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 देहरादून	सामु0स्वा0के0 अगस्त्यमुनी, रुद्रप्रयाग	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15897 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/रुद्रप्रयाग।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/रुद्रप्रयाग।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती गीता कुमारी	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 देहरादून	जिला चिकि0 पौड़ी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15899 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून/जिला चिकि0 पौड़ी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

/0 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती वन्दना कठैत	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि० देहरादून	जिला चिकि० गोपेश्वर, चमोली	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/15901

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/चमोली।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० देहरादून/जिला चिकि० गोपेश्वर, चमोली।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/चमोली।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती कुसुम भट्ट	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 देहरादून	उप जिला चिकि0 श्रीनगर	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15903 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून/उप जिला चिकि0 श्रीनगर।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

/0 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सावित्री चौहान	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 देहरादून	जिला चिकि0 गोपेश्वर	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15905 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/चमोली।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून/जिला चिकि0 गोपेश्वर।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कौषाधिकारी, देहरादून/चमोली।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती चन्द्रा दीवान	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि० देहरादून	प्रा०स्वा०के० भटवाडी, उत्तरकाशी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15907 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० देहरादून।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती विजय लक्ष्मी मुन्डेती	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि० देहरादून	जिला चिकि० गोपेश्वर, चमोली	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15909 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/चमोली।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० देहरादून/जिला चिकि० गोपेश्वर, चमोली।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/चमोली।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

—:आदेश:—

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अंजली	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0के0 भवाली, नैनीताल	सामु0स्वा0के0 लमगड़ा, अल्मोडा	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

15911

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- 4- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 5- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती लवीना सिंह	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि0 विकासनगर, देहरादून	सामु0स्वा0के0 घण्डियाल, पौड़ी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15913

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 विकासनगर, देहरादून।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

07 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती नाहिद निलोफर	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 देहरादून	जिला चिकि0 पौड़ी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15915 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून/ जिला चिकि0 पौड़ी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती गंगा बिष्ट	नर्सिंग अधिकारी	जी०बी० पन्त चिकि० नैनीताल	सामु०स्वा०के०सुयालबाड़ी, नैनीताल	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15917 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 4- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 5- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती किरन	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल	सा0स्वा0के0 चौखुटिया, अल्मोड़ा।	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15919 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कुमौल मण्डल, नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/ अल्मोड़ा।।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रेनू नेगी	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि० देहरादून	सामु०स्वा०के० पोखरी, चमोली	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15921 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/चमोली।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० देहरादून।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/चमोली।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रीना बिष्ट	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि० देहरादून	सामु०स्वा०के० छाम, टिहरी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15923 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/टिहरी, गढ़वाल।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० देहरादून।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती मीनाक्षी शर्मा	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि० देहरादून	सामु०स्वा०के० थत्थूड़, टिहरी गढ़वाल	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15925 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/ टिहरी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० देहरादून।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/ टिहरी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती हेमलता शर्मा	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 देहरादून	जिला चिकि0 पौड़ी	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15927 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून/जिला चिकि0 पौड़ी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती ईभा विश्वास	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 नैनीताल	सामु0स्वा0के0 सल्ट, अल्मोडा	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15929 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कुमौऊ मण्डल, नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 नैनीताल।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रुचि	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 देहरादून	प्रा0स्वा0के0 देवाल, चमोली	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15931 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/चमोली।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/चमोली।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती मंजू रानी	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 हरिद्वार	जिला चिकि0 गोपेश्वर, चमोली	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15933

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/चमोली।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 हरिद्वार/जिला चिकि0 गोपेश्वर, चमोली।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/चमोली।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती स्वेता सैनी	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि0 रूडकी, हरिद्वार	सामु0स्वा0के0 पाटीसैण, पौड़ी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15935 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 रूडकी, हरिद्वार।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती प्रतिभा लखेडा	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 देहरादून	जिला चिकि0 रुद्रप्रयाग	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15937 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/रुद्रप्रयाग।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून/जिला चिकि0 रुद्रप्रयाग।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/रुद्रप्रयाग।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रीता रानी सिंह	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 देहरादून	जिला चिकि0 पौड़ी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15939 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून/जिला चिकि0 पौड़ी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सीमा	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि० देहरादून	टी०बी० चिकि० गोपेश्वर, चमोली	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15941 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल, पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/चमोली।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० देहरादून/टी०बी० चिकि० गोपेश्वर, चमोली।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/चमोली।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती पूजा	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 हरिद्वार	प्रा0स्वा0के0 हर्षिल, उत्तरकाशी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15943 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/उत्तरकाशी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 हरिद्वार।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/उत्तरकाशी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/xxxvi(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/xxx (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/xxx (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सरिता सिंह	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0के0 मंगलौर, हरिद्वार	सामु0स्वा0के0 मोरी, उत्तरकाशी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15945 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/उत्तरकाशी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/उत्तरकाशी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती मीनाक्षी बिष्ट	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0के0 मंगलौर, हरिद्वार	सामु0स्वा0के0 मोरी, उत्तरकाशी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15947 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/उत्तरकाशी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/उत्तरकाशी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सुनीता रावत	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 हरिद्वार	जिला चिकि0 पौड़ी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15949 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून/जिला चिकि0 पौड़ी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रश्मि रावत	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि0 ऋषिकेश, देहरादून	सामु0स्वा0के0 खिर्सू, पौड़ी गढ़वाल	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15951

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 ऋषिकेश, देहरादून।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अमिता प्रसाद	नर्सिंग अधिकारी	रा0मा0चिकि0 सेलाकुई, देहरादून	सामु0स्वा0के0 खाड़ी, टिहरी गढ़वाल	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15953 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक राज्य मानसिक चिकि0 सेलाकुई, देहरादून।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती स्वेता भारद्वाज	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला मेला चिकि0 हरिद्वार	सामु0स्वा0के0 सतपुली, पौड़ी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15955 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला मेला चिकि0 हरिद्वार।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।



(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सीता रावत	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि0 विकासनगर, देहरादून	जिला चिकि0 पौड़ी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15957

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 विकासनगर, देहरादून/जिला चिकि0 पौड़ी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती गुरुप्रीत डिल्लो	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि० विकासनगर, देहरादून	सामु०स्वा०के० मोरी, उत्तरकाशी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15959

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० विकासनगर, देहरादून।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती आभा रावत	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 देहरादून	जिला चिकि0 पौड़ी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवाधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15961 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

1k
(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती विजयशर्मा	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 हरिद्वार	सामु0स्वा0के0 जोशीमठ, चमोली	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15963

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/चमोली।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 हरिद्वार।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/चमोली।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	हीरा मेहरा	नर्सिंग अधिकारी	जी०बी० पन्त चिकि० नैनीताल	सामु०स्वा०के० चौखुटिया, अल्मोड़ा	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/15965

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जी०बी० पन्त चिकि० नैनीताल।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अनुसूया रावत	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 रुद्रप्रयाग	जिला चिकि0 देहरादून	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/15967

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग/देहरादून।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 रुद्रप्रयाग/जिला चिकि0 देहरादून।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग/देहरादून।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती चन्द्रा जोशी	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि० रानीखेत अल्मोडा	उप जिला चिकि० रामनगर, नैनीताल	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15969

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० रानीखेत, अल्मोडा/उप जिला चिकि० रामनगर, नैनीताल।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती चन्द्रा पुरी	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि० श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल	उप जिला चिकि० सितारगंज।	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15971

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/उधमसिंह नगर।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० श्रीनगर/सितारगंज।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/उधमसिंह नगर।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/xxxvi(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/xxx (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/xxx (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती उमा कोहली	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि० बागेश्वर	उप जिला चिकि० रामनगर, नैनीताल	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15973 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० बागेश्वर/उप जिला चिकि० रामनगर, नैनीताल।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।


(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/xxxvi(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/xxx (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/xxx (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती आशक्तिका भट्ट	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि० श्रीनगर	सा०स्वा०के० मंगलौर, हरिद्वार	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15975 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० श्रीनगर।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती किरन सिंह	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0के0 चकराता, देहरादून	उप जिला चिकि० विकासनगर, देहरादून	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15977 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० विकासनगर, देहरादून।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/xxxvi(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/xxx (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/xxx (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती पुष्पा उप्रेती	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि० पिथौरागढ़	उप जिला चिकि० रामनगर, नैनीताल	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० पिथौरागढ़/उप जिला चिकि० रामनगर, नैनीताल।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।


(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती लीला राणा	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि० श्रीनगर, पौड़ी	उप जिला चिकि० विकासनगर, देहरादून	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15981 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० श्रीनगर, पौड़ी/उप जिला चिकि० विकासनगर, देहरादून।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

1K
(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सारिका सिंह	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि० बागेश्वर	उप जिला चिकि० सितारगंज, उधमसिंह नगर	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15983 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर/उधमसिंह नगर।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० बागेश्वर/उप जिला चिकि० सितारगंज।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/ उधमसिंह नगर।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/xxxvi(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/xxx (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/xxx (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती ज्योति पाठक	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि० बागेश्वर	उप जिला चिकि० सितारगंज, उधमसिंह नगर	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15985 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर/ उधमसिंह नगर।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० बागेश्वर/उप जिला चिकि० सितारगंज, उधमसिंह नगर।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/ उधमसिंह नगर।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती पैन्जी पतरस	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0के0 कोटाबाग, नैनीताल	महिला चिकि0, हल्द्वानी नैनीताल	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15987 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	सुश्री कंचन नाथ	नर्सिंग अधिकारी	नेत्र सचल दल पिथौरागढ़	उप जिला चिकि० सितारगंज, उधमसिंह नगर	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

15989

(सुनीता टम्हा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15989

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/उधमसिंह नगर।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० सितारगंज, उधमसिंह नगर।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/ उधमसिंह नगर।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

11

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

—:आदेश:—

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	सुश्री ममता चौधरी	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि० रुद्रप्रयाग	जिला चिकि० देहरादून	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15491

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग/देहरादून।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० रुद्रप्रयाग/जिला चिकि० देहरादून।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग/देहरादून।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

AK

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती पूर्ति बाला	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0के0 अगरस्त्यमुनी, रुद्रप्रयाग	जिला चिकि0 देहरादून	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/15993

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग/देहरादून।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 रुद्रप्रयाग/जिला चिकि0 देहरादून।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग/देहरादून।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	सुश्री अनीता मयान	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0के0 यमकेश्वर पौड़ी	उप जिला चिकि0 ऋषिकेश, देहरादून	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15995 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उपजिला चिकि0 ऋषिकेश, देहरादून।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती दिव्या त्रिपाठी	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0के0 कोटाबाग, नैनीताल	उप जिला चिकि0 रामनगर, नैनीताल	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15997 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमौळ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 रामनगर, नैनीताल।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती पूजा चौधरी	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि0 रानीखेत, अल्मोडा	महिला चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 15999 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उपजिला चिकि0 रानीखेत, अल्मोडा/महिला चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती शोभा	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि० गोपेश्वर, चमोली	जिला चिकि० देहरादून	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 16000

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/देहरादून।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० गोपेश्वर, चमोली/जिला चिकि० देहरादून।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/देहरादून।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती नीलम दिक्षित	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0के0 खाडी, टिहरी	जिला चिकि0 देहरादून	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 16003

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/देहरादून।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/देहरादून।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।


(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	सुश्री प्रियंका देवी	नर्सिंग अधिकारी	प्रा0स्वा0के0पाटीसैण, पौड़ी	उप जिला चिकि0 ऋषिकेश, देहरादून	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 16005 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 ऋषिकेश, देहरादून।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती शकुन्तला	नर्सिंग अधिकारी	पुलिस चिकि0 पिथौरागढ़	उप जिला चिकि0 सितारगंज	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 16007 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/उधमसिंह नगर।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 सितारगंज।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/उधमसिंह नगर।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री कमलेश कुमार चनियाल	नर्सिंग अधिकारी (पुरुष)	सामु0स्वा0के0 सुयालबाडी, नैनीताल	उप जिला चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 16009

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमौक मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/16012

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	सुश्री आरती	नर्सिंग अधिकारी	सा0स्वा0के0 सुयालबाड़ी, नैनीताल	महिला चिकि0 हल्द्वानी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/16012

तददिनांक।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा महिला चिकि0 हल्द्वानी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।



(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	सुश्री पूजा	नर्सिंग अधिकारी	प्रा0स्वा0के0 देवाल, चमोली	जिला चिकि0 देहरादून	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 16107

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/देहरादून।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/देहरादून।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती लक्ष्मी रावत	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि० धारचूला पिथौरागढ़	सामु०स्वा०के० बैलपडाव नैनीताल	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 16013 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमौऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० धारचूला, पिथौरागढ़।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती कविता	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0के0 चौखुटिया, अल्मोडा	महिला चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्हा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 16015 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमौऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती पूजा आर्या	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0के0 चौखुटिया, अल्मोडा	उप जिला चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्हा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 160/37 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमौऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	सुश्री चम्पा आर्या	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0के0 लमगडा, अल्मोडा	उप जिला चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल।	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 16019 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सीमा टम्टा	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0के0 धौलादेवी, अल्मोडा	महिला चिकि० हल्द्वानी, नैनीताल	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 1602 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकि० हल्द्वानी, नैनीताल।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती तनुजा आर्या	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0के0 सल्ट अल्मोडा	उप जिला चिकि0 रामनगर, नैनीताल	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्हा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 16023 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 रामनगर, नैनीताल।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री राजेश गोस्वामी	नर्सिंग अधिकारी (पु0)	जिला चिकि0 चम्पावत	उप जिला चिकि0 सितारगंज ऊधमसिंह नगर	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 16025

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमौऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत/ऊधमसिंह नगर।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 चम्पावत/उप जिला चिकि0 सितारगंज ऊधमसिंह नगर।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	सुश्री हेमा कुंवर	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि० चम्पावत	उप जिला चिकि० हल्द्वानी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 16027 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत/नैनीताल।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० चम्पावत/उप जिला चिकि० हल्द्वानी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत/नैनीताल।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती प्रिस्किला	नर्सिंग अधिकारी	सा0स्वा0के0 कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल	सा0स्वा0के0 मंगलौर	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 16029 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/टिहरी गढ़वाल।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/टिहरी गढ़वाल।
- 4- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 5- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक-

10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सुचिता पंवार	नर्सिंग अधिकारी	सा0स्वा0के0 छाम, टिहरी गढ़वाल	उप जिला चिकि0 ऋषिकेश	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 16031 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/देहरादून।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 ऋषिकेश।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/देहरादून।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

11.
(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सरिता ममगाई	नर्सिंग अधिकारी	प्रा0स्वा0के0 गजा, टिहरी गढ़वाल	जिला चिकि0 बौराड़ी।	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 16033 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकि0 बौराड़ी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती नेहा	नर्सिंग अधिकारी	प्रा०स्वा०के० पोखरी, चमोली।	उप जिला चिकि० रुड़की।	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 16035 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/हरिद्वार।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकि० रुड़की।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/हरिद्वार।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती मोनिका	नर्सिंग अधिकारी	सा0स्वा0के0 छाम, टिहरी गढ़वाल।	सा0स्वा0के0 देवप्रयाग/ अधीन मु0चि0अधि0 टिहरी दुर्गम क्षेत्र	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 16037 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 4- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 5- गार्ड फाईल।

AK

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सोफिया जॉन मैकनाईट	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि० रुड़की।	जिला चिकि० रुद्रप्रयाग	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 16039 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग/हरिद्वार।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकि० रुद्रप्रयाग/उप जिला चिकि० रुड़की।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग/हरिद्वार।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

1K

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अभिलाषा भाकुनी	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि० पिथौरागढ़	जिला चिकि० बागेश्वर	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 16041

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/बागेश्वर।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकि० पिथौरागढ़/बागेश्वर।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/बागेश्वर।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

11

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती मीना कुकरेती	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 देहरादून	सा0स्वा0के0 यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल।	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 48 16043 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूघनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी गढ़वाल।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकि0 देहरादून।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी गढ़वाल।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

1K

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती प्रतिभा कार्की	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि0 टनकपुर।	जिला चिकि0 चम्पावत	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 16045 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकि0 चम्पावत/उप जिला चिकि0 टनकपुर।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अक्षांश चौहान	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि० गोपेश्वर	प्रा०स्वा०के० डुंडा, उत्तरकाशी	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 16047 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/उत्तरकाशी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकि० गोपेश्वर।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/उत्तरकाशी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

AK

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक- 16 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सपना आर्या	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि0 हल्द्वानी	जिला चिकि0 देहरादून	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 16049 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/देहरादून।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकि0 देहरादून/उप जिला चिकि0 हल्द्वानी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/देहरादून।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक- 16 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती हिमांशु कोहली	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 चम्पावत	जिला चिकि0 पिथौरागढ़	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 16851 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत/पिथौरागढ़।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकि0 चम्पावत/पिथौरागढ़।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत/पिथौरागढ़।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती दीप्ति रानी	नर्सिंग अधिकारी	महिला चिकि0 हल्द्वानी	प्रा0स्वा0के0 धौलादेवी, अल्मोड़ा	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 16053 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महिला चिकि0 हल्द्वानी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

AK

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/xxxvi(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/xxx (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/xxx (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती संजय दताल	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि0 लोहाघाट, चम्पावत	उप जिला चिकि0 धारचूला।	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 16055 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत/पिथौरागढ़।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकि0 लोहाघाट/धारचूला।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत/पिथौरागढ़।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

AK

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती बीना जॉर्ज	नर्सिंग अधिकारी	सा0स्वा0के0 सहसपुर	सा0स्वा0के0 पुरोला।	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 16057 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
- 4- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 5- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/xxxvi(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/xxx (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/xxx (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती प्रतिभा	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि० हल्द्वानी	उप जिला चिकि० रानीखेत, अल्मोड़ा।	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 16059 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकि० हल्द्वानी/रानीखेत।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती ज्योति उप्रेती	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि० हल्द्वानी	अधीन मु०चिकि० अधि० नैनीताल, दुर्गम क्षेत्र	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 1606/ तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकि० हल्द्वानी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

—:आदेश:—

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/xxxvi(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/xxx (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/xxx (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती आशु जॉन	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि० मसूरी	सा०स्वा०के० सहसपुर	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 16063 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 4- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 5- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती शान्ति काण्डपाल	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि० अल्मोड़ा	उप जिला चिकि० हल्द्वानी	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 16065 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकि० अल्मोड़ा/उप जिला चिकि० हल्द्वानी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	सुश्री गीता	नर्सिंग अधिकारी	सा0स्वा0के0 चौखुटिया, अल्मोड़ा	उप जिला चिकि० काशीपुर	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रमारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 16067 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा/ऊधमसिंह नगर।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकि० काशीपुर।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/ऊधमसिंह नगर।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सोनिका	नर्सिंग अधिकारी	प्रा0स्वा0के0 डुण्डा, उत्तरकाशी	जिला चिकि0 देहरादून।	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 16069 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकि0 देहरादून।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती कुलविन्दर कौर	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि० काशीपुर	सा०स्वा०के० कोटाबाग, नैनीताल	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 16071

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंह नगर।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकि० काशीपुर।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंह नगर।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती मीनाक्षी	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 पौड़ी	उप जिला चिकि0 श्रीनगर, पौड़ी	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 16073 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकि0 पौड़ी/उप जिला चिकि0 श्रीनगर।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/xxxvi(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/xxx (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/xxx (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती पूनम	नर्सिंग अधिकारी	प्रा0स्वा0के0 लक्ष्मणझूला	प्रा0स्वा0के0 सहिया, देहरादून	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 16075 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून/पौड़ी।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 4- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 5- गार्ड फाईल।

16

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/xxxvi(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/xxx (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/xxx (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती दीपमाला	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि० ऋषिकेश	जिला चिकि० देहरादून	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/20/2025/ 16077

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकि० देहरादून/उप जिला चिकि० ऋषिकेश।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)